

अग 12965/म 15


28

135

न्यायालय श्री मान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्टीवा

जिलारीवाम०ब्र०

निरानी प्रकरण क्रमांक / 20 15



13-201-

319
17-8-15

राजस्व मण्डल
गुवालीर सर्किट कोर्टीवा
17-8-15

1- रामकरण तनय महेश तेली

2- मुस० बटुक वेवा पत्नी कल्लू तेली

3- केशव पिता कन्नु तेली

4- विश्वनाथ तनय कन्नु तेली

5- सीता राम तनय वृद्धि मान यादव

6- कैला तनय कन्नु तेली

7- अथराज तनय वृद्धि मान यादव

8- रघुवति पिता वृद्धिमान यादव

9- श्यामलाल पिता चंतू कोल स्त्री निवासी गण ग्राम कुर्सा, तहसील

देवसर जिला सिमरौली म०ब्र० ----- निराराकारगण

विरुद्ध

1- लालर तनय मंगलें चमार निवासी ग्राम कुर्सा, तहसील देवसर
जिला सिमरौली म०ब्र०

2- फूलचन्द्र पिता राधेसिंह गोड़ निवासी कुर्सा, तह० देवसर जिला
सिमरौली म०ब्र०

3- शासन म०प्र० ----- आवेदकगण

निरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०

मुराजस्व सुविधासन 1959 विरुद्ध

श्रीमान् अर करे० महोदय के

राजस्व प्रकरण क्र० 22अ-74/ 12-14




अन्तरित आवेश दिनांक 12-6-15

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-2965-II/15

जिला-सिंगरौली

रामकरण तेली/लोलर चमार

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामाश्रय शुक्ला उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 22/अ-74/2012-14 में पारित आदेश दिनांक 12.06.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">   (बी.एम्.शर्मा), सदस्य </p> <p style="text-align: left;">  </p>	